# सरकारो गजट, उत्तर प्रदेश 

उत्तर पदेदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशितन
असाधारण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सशोधन) विधेयक, 2010 पर देनाक 3 माचं, 2010 को अनुर्मात प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अर्धिनयम सख्या 11 सन 2010 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस आधसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010
(उत्तर प्रदेश आधॉनयम संख्या 11 सन 2010)
[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारारत हुआ ]
उत्तर प्रदश राज्य ववश्वावद्यालय आधानयम. 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के उकसटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह आधानयम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम, सक्षिप्त नाम और 2010 कहा जाएगा। प्रारम्भ
(2) यह 1 अक्टूबर. 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधानयम संग्य्या 29 सन् 1974 द्वारा यधासशोघित और पुन: अधिनियमित गष्ट्पति अधिनियम सग्द्या 10 सन 1973 का धारा 4 का संशोधन धाग़ 5 का सशोधन
 कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया गाएगा, अर्थात :-
"(ङ) एक विश्वावद्यालय, जिस उत्तर प्रदेश उद्य.: अरवी फारसां विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जाएगा।"

3-मूल अधिनियम की धारा 5 मे, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्यात :-
"(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भा उद्दू, अरबा ओग फारसा में शिक्षा और अनुसंधान तथा उनके ज्ञान की अभिवद्धि एवं प्रसार ने सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उद्रे, अरवी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ का प्रदत्त शक्तियं का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकंगा।"

नर्या धारा 7-ख का बढ़ाया जाना अर्थात :-

4-मूल अधिनियम की धारा 7 -क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दो जायंशा.
" 7 -ख-राज्य सरकार द्वारा अध्रूचना के माध्यम से प्राधिकृत किये जाने कुछ वश्ववाव्यालया पर उत्तर प्रदेश उद. अरबा फारसा विश्वविद्यालय, उच्च की अंतरिक्त शिक्षा प्रदान कर रहा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की शक्तियाँ और सहायता, सम्बद्धता और सुविधा देगा।" कर्तव्य
अनुसुर्वा का सशेषन
5-मूल अधिनियम की अनुसूर्चा मे. क्रमांक 10 के पश्चात निम्नालखित क्रमाक स्तम्भवार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

| 1 | 2 |
| :---: | :---: |
| 11 | उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी उर्दू, अरवी और फारसी मे शेशअ़्ता और |

विश्वविद्यालय, लखनऊ अनसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
कठिनाइयाँ दूर करना
6-(1) राज्य सरकार उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसें अनुकूलनां के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में, जिन्हें वह आवश्यक या सर्मार्वान समझे, प्रभावां होंग :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसो न्यायालय में इस आधार पर आपा्ति नहीं की जाएर्गा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटिनाई विद्यमान नहों थी अथवा उसको दूर करना अपाक्षत नहो था।
निर्सन और अपवाद
7-(1) उत्तर प्रदेश अरबो फारसं। विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश
2009 एतद्द्धारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धां के अर्धान कृत कोई कार्य या कायवाहा इस अधिनियम द्वारा यथासशॉधत उत्तर प्रदेश राज्य $\{व श ् व व व द ् य ा ल य ~ अ ध ि न ि य म, ~$ 1973 के तत्समान उपबन्धों के अर्धान कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगां मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभा सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उद्वू मात् भाषा के रूप में बोला जाता है। उद्दू भाषा का इस प्रकर विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उदूं साहलत्य म, जिसक साथ अरवाँ और फारसी भापायं भा हें. अपने अध्ययन कां उच्चतर स्तर तक जारा रख सके। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अरवा फारसा विश्वविवम्यालय आधॉनयम. 2009 (उत्तर प्रदेश आधननयम संख्या 12 सन 2009) का अधिनियमन किया गया। उक्त आधानयम का सम्यक् रूप से अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया गया कक उत्तर प्रदश राज्य विश्वविद्यालय आधानियम. 1973 के कांतपय उपबन्ध उसमें विद्यमान नहीं हैं। सने 2009 के उक्त अधिनियम में विद्यमान कमियों को टीक करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्घालय अधिनियम, 1973 को संशाधित करके उसके द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों की सूची में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाय और सन् 2009 के उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञ से,
प्रताप वीरन्द्र कुशवाहा, सचिव।

## No. 294(2)/LXXIX-V-I-10-I(Ka)-5-2010

Dated Lucknow. March 5. 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following Einglish translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2010.
THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES
(AMENDMENT) ACT, 2010
(U.P. ACT NO. Il OF 2010)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislaturel
AN
AC7
further to amend the Utuar Pradesh Stute Universities Act. 1973.
ITIS HIRLEBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Utar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2010.

Short litie and commencement
(2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 2009.
2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:-
"(e) a University to be known as the Urdu. Uttar Pradesh Arabi Pharsi
University at Lucknow."

Amendment of section 4 of the Prosident's Act no 10 of 1973 a no 10 uf 1973 amended and
reenacted by U.P reenacted by
Acl no. 29 of 1974

Amendment of section 5

Insertion of new
section 7-B
08
7. (1) The Uttar Pradesh Arabi Pharsi University Act, 2009 is hercby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal. anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJFETS AND RI:ASONS

Urdu language is spoken as mother tongue by a section of the society in Uttar Pradesh. The Urdu language is required to be developed in such a manner that any person of the society may continue his study to the higher stage of learning in Urdu literature including Arabi and Pharasi languages. The Utar Pradesh Arabi Pharasi University Act. 2009 (U.P. Act no. 12 of 2009) was enacted for the purpose. After due study of the said Act it has been found that certain provisions of the Utar Pradesh State Universities Act. 1973 are not present therein. With a view to making good of the shortcomings appeared in the said Act of 2009. it has been decided to amend the Utar Pradesh State Universities Act, 1973 to include the Utar Pradesh Urdu. Arabi Pharasi University in the list of Universities administered thereby and to repeal the said Act of 2009.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

```
ser
By order.
P.V. KUSHWAlIA.
Sachis.
```

